

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 18.07.2017 जनपद हमीरपुर-

पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दिनेश कुमार पी के निर्देशन मे जनपद हमीरपुर मे दिनांक- 17.07.2017 को कानून व्यवस्था,अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियानो मे निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की गयी ।

100- ली कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

-दिनांक 17.07.2017 को थाना जरिया पुलिस द्वारा अभियुक्त-लल्ला पुत्र प्रभु दयाल निवासी तुरना थाना जरिया को एक जरीकेन मे 100 ली शराब महुआ व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया। इस प्रकरण मे अभियुक्त के विरुद्ध थानाहाजा मे मु0अ0स0-240/17 धारा-60 आबकारी अधिनियम दर्ज किया गया।

05- वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

-दिनांक 17.07.2017 को थाना बिवार पुलिस द्वारा मु0अ0स0156/17-,धारा-376 भादवि 04 पास्को एक्ट के वांछित अभियुक्त-मयंक पुत्र मान सिंह निवासी लोधा मऊ थाना बिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

-दिनांक 17.07.2017 को थाना मझगवां पुलिस द्वारा मु0अ0स0-128/17,धारा-302/201 भादवि के वांछित अभियुक्त-उमेश पुत्र खूबचन्द्र निवासी इटौरा थाना मझगवां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

-दिनांक 17.07.2017 को थाना राठ पुलिस द्वारा मु0अ0स0-365/17 व 366/17,धारा-379/411 भादवि व खनिज एक्ट के वांछित अभियुक्त-01-गोकरण पुत्र रामचरण 02- मुन्ना पुत्र धनीराम निवासी सरसेडा थाना राठ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

-दिनांक 17.07.2017 को थाना राठ पुलिस द्वारा मु0अ0स0-403/17,धारा-302 भादवि के वांछित अभियुक्त-प्रताप पुत्र रामदयाल निवासी चरखारी रोड थाना राठ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

01- वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

-दिनांक 17.07.2017 को थाना चिकासी पुलिस द्वारा मु0अ0स0-36/17,धारा-151/107/116 सी0आर0पी0सी0 के वारंटी अभियुक्त-कल्लू पुत्र रामदयाल निवासी बरौली खरका थाना चिकासी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

प्रेस विज्ञप्ति वाहन चेक दिनांक- 12.07.2017 जनपद हमीरपुर

जनपद हमीरपुर.... दिनांक 11.07.2017 को पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दिनेश कुमार पी के आदेशानुसार यातायात व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद के समस्त थानों में दो पहिया व चार पहिया वाहनो का सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान में हैलमैट,डी.एल ,वीमा, व आवश्यक कागजो का ना होना, तीन सवारी, अवैध नम्बर प्लेट,सीट बैल्ट ना लगाना,ओवरलोडिंग आदि के खिलाफ कार्यवाही की गयी ।चेकिंग अभियान में समस्त थानों से चेक किये वाहनो में 19 वाहनो से 5300 रु0 सम्मन शुल्क वसूला गया ।